न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर–२, फतेहपुर।

<u>आदेश</u>

२५.०४.२०१९

साक्षी सुमिरति की ओर से जमानतीय वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र २२ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि पुकार के समय वह अपने अधिवक्ता महोदय को बुलाने चली गयी थी, जिस कारण गैर हाजिर हो जाने के कारण उसके विरूद्ध बी०डब्लू० जारी हो गया है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। बी०डब्लू० निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना। आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र २२ब स्वीकार किया जाता है। अतः गवाह द्वारा १० हजार रूपये का निजी मुचलका दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी बी०डब्लू० निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर–२, फतेहपुर।